# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 57/2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

| | | |
|---|---|---|
| सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा<br>– प्रार्थी | बनाम | 1. महावीर टेलर पुत्र शम्भूलाल मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड, मैजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा<br>—विपक्षी |

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(V) एवं धारा 58

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

## आदेश

दिनांक 29.11.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी महावीर टेलर पुत्र शम्भूलाल मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड, मैजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् हल्दी पाउडर का विकय कर रहा था। महावीर टेलर पुत्र शम्भूलाल मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड, मैजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर 5–6 किलोग्राम हल्दी पाउडर रखी था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार हल्दी पाउडर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगषाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेष करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.08.2024 को समय 03:30 PM बजे ब्राहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु महावीर टेलर पुत्र शम्भूलाल मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड, मैजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से महावीर टेलर पुत्र शम्भूलाल मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड, मैजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा था एवं आम जनता के उपयोग हेतु हल्दी पाउडर विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया, जो मौके पर मौजूद नही था।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में 560/–रू. नगद देकर 2 किलो हल्दी पाउडर वास्ते जांच खरीदा एवं रंसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये। जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर एक्स – 2445 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए उक्त लेबल तैयार कर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./960/एफएसएसए/2024/982 दिनांक 29.08.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण contravenes regulation No. 2.3.14(15) because it sold in loose condition होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेष करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेष किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा लूज खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 11.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 26.11.2024 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना हल्दी पाउडर loose condition होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने हल्दी पाउडर contravenes regulation No. 2.3.14(15) because it sold in loose

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

condition होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./960 /एफएसएसए /2024/982 दिनांक 29.08.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड contravenes regulation No. 2.3.14(15) because it sold in loose condition होना पाया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना loose condition पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि ग्रामीण परिवेश होने से 5–10 रू. के ग्राहक आते हैं इसलिए खुली हल्दी का विक्रय किया जाता हैं। कानूनी बातों की जानकारी नही हैं। भविष्य में ध्यान रखेंगें। प्रथम गलती मानते हुये माफी प्रदान करें।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी loose condition हल्दी पाउडर विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत विपक्षी पर 12,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती हैं एवं विपक्षी को निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में वह खुले मसाले का विक्रय नही करें। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 श्री महावीर टेलर पुत्र शम्भूलाल मैसर्स महावीर किराणा स्टोर, बस स्टैण्ड, मैजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)